**लोक सभा और विधान सभा के लिए निर्वाचन**

1683. **(श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या विधि, **न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा और विधान सभा के ऐसे कितने चुनाव क्षेत्र हैं जहां अभी निर्वाचन कराए जाने हैं; और

(ख) ऐसे कौन-कौन से चुनाव क्षेत्र हैं और वहां पर निर्वाचन कब तक करा लिए जाने की आशा है?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम्)**: (क) और (ख) एक विवरण, सदन के पटल पर रख दिया गया है जिसमें उन संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शित किया गया है जो इस समय रिक्त हैं। भारत निर्वाचन आयोग, इन निर्वाचन क्षेत्रों में यथा संभव शीघ्र निर्वाचन कराएगा, किन्तु निर्वाचन आयोग ने अभी ऐसे निर्वाचन कराने के लिए किसी कार्यक्रम को अधिसूचित नहीं किया है।

**विवरण**

आज तक रिक्त संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

| राज्य का नाम | निर्वाचन क्षेत्र का सं० और नाम | |
|---|---|---|
| | संसदीय | सभा |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. आंध्र प्रदेश | | 183—अल्लागड्डा |
| | | 208—सनतनगर |
| 2. बिहार | 46—गिरीडीह | 208—पटना पूर्व |
| | 24—पूर्णिया | 241—गौह |
| | 35—पटना | |
| 3. गोवा | | 27—लोतुलिम |
| 4. गुजरात | | 6—रापर |
| | | 53—कुंडला |
| | | 18—सयाजीगंज |
| 5. कर्नाटक | | 197—बेलगांव, 58—कुनिगल |
| | | 188—गदाग |
| 6. केरल | | 37—तानूर |
| | | 71—नराक्कल (अ.जा.) |
| 7. मध्य प्रदेश | | 234—बुधनी |
| | | 135—कसडोल |
| | | 138—बसना |
| | | 40—महासमुद |
| | | 117—बिलहा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 195—जबलपुर पूर्वी (अ०जा०) |
| | | 287—बुरहानपुर |
| | | 178—लांजी |
| 8. | महाराष्ट्र | 25—चिंचपोक्ली |
| | | 168—किनवात |
| 9. | मणिपुर | 36—वाबगाई |
| | | 38—हियानग्लम |
| | | 42—टेंगनोपाल (अ०ज०जा०) |
| | | 47—कारौंग (अ०ज०जा०) |
| | | 49—ताडूबी (अ०ज०जा) |
| | | 54—नूंगबा (अ०ज०जा०) |
| | | 56—थानलोन (अ०ज०जा०) |
| | | 33—हीरोक |
| | | 39—सुगनु |
| | | 46—सैकुल (अ०ज०जा०) |
| | | 31—थौबाल |
| | | 55—तिपाईमुख |
| | | 57—हैंगलेप (अ०ज०जा०) |
| 10. | मेघालय | 43—सोंगसक (अ०ज०जा) |
| | | 2—रेमबाई (अ०ज०जा०) |
| | | 30—शेल्ला (अ०ज०जा०) |
| | | 54—खेरानाडा (अ०ज०जा०) |
| | | 58—अंपातीगिरी (अ०ज०जा०) |
| | | 49—राजबाला (अ०ज०जा०) |
| 11. | नागालैंड | 5—चासपानी (अ०ज०जा०) |
| | | 10—उत्तरी अंगामी–1 (अ०ज०जा०) |
| | | 19—पेख (अ०ज०जा०) |
| | | 20—मेलुरी (अ०ज०जा०) |
| | | 44—फोमचिंग (अ०ज०जा०) |
| | | 6—तेन्लिंग (अ०ज०जा०) |
| | | 13—पुघोबोटो (अ०ज०जा०) |
| | | 34—अघुनातो (अ०ज०जा०) |
| | | 38—वोखा (अ०ज०जा०) |
| | | 46—मोन टाउन (अ०ज०जा०) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 49—तमलू (अ०ज०जा०) |
| | | 52—लौखिम चारे (अ०ज०जा०) |
| | | 54—त्युनसांग सदर–II (अ०ज०जा०) |
| | | 55—तोबू (अ०ज०जा०) |
| | | 59—सियूचोंग सितिमी (अ०ज०जा०) |
| 12. उड़ीसा | | 5—बांग्रीपोसी (अ०ज०जा०) |
| 13. तमिलनाडु | 22—पलानी | |
| 14. त्रिपुरा | | 6—अगरतल्ला |
| 15. उत्तर प्रदेश | 80—मेरठ | 63—तिलहर |
| | | 393—कियमोर |
| | | 394—हस्तिनापुर (अ०ज०जा०) |
| | | 396—मेरठ छावनी |
| | | 397—मेरठ |
| | | 398—करखोदा |
| | | 383—अगोटा |
| 16. पश्चिमी बंगाल | | 229—नया ग्राम (अ०ज०जा०) |
| 17. दिल्ली | 1—नई दिल्ली | |

**Setting up of Public Interest Litigation Cell in High Courts**

1684. SHRI VIREN J. SHAH
SHRI SURESH KALMADI:
SHRI BHUBANESWAR KALITA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the All India Chief Justice Conference, in their resolution dated September 1, 1991 recommended for the setting up of a Public Interest Litigation Cell in each High Court to enable the poor, oppressed and economically or physically handicapped to seek judicial relief;

(b) if so, what are the names of High Courts which have not so far implemented the recommendations of the resolution and the reasons therefor;

(c) what are the categories of persons or bodies who can submit their petitions for seeking judicial relief; and

(d) whether the Supreme Court have issued any guidelines in this regard and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) As per the information made available by the Supreme Court of India, Karnataka, Andhra Pradesh, Bombay, Gauhati and Madhya Pradesh High Courts have set up a Public Interest Litigation (PIL) Cell. The Kerala High Court have stated that even though no separate PIL Cell h